विज्ञप्ति

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस कार्यालय में ओधोगिक शिक्षुओ का एक वर्ष के लिए चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओ को प्रशिक्षण एवम भत्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत देय होगा। कर्मशाला, झज्जर में दिनांक 10-11-2026 को नीचे दर्शाए गए निम्नलिखित ट्रेड्स के प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। जिन प्रशिक्षुओ ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया है। वह प्रशिक्षु अपने मूल दस्तावेज जैसे - रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मेट्रिक सर्टिफिकेट, आई टी आई मार्कशीट, आधार कार्ड आदि लेकर दिनांक 10-11-2026 को कर्मशाला, झज्जर में प्रातः 10.00 बजे पहुचे।

क्रमांक	ट्रेड्स	रिक्त पद
1	पेंटर	2
2	फिटर	7
3	विधुतकार	8
4	मोटर मैकेनिक	6
5	डीजल मैकेनिक	6
6	कोपा	2
7	वेल्डर	7
8	कारपेंटर	7
	कुल	45

नोट :- शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार किसी भी संस्थान से पूर्व में प्रशिक्षण पूरा कर चुके उम्मीदवार दूसरी बार प्रशिक्षण लेने के पात्र नही है।

2. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल **https://www.apprenticeshipindia.gov.in** पर अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.11.2026 तक कर सकते है।
3. महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर के पास अपरेंटिस विज्ञप्ति में वर्णित रिक्तियो को घटाने और बढाने का अधिकार है।
4. चयनित उम्मीदवार को सहायक शिक्षुता सलाहकार झज्जर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने के बाद प्रशिक्षण पर लिया जाएगा

हस्ता/-
महाप्रबंधक
हरियाणा राज्य परिवहन
झज्जर

No. 50712/hry